संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश
ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004
☎ – (0755) 2551199, 2552003
फैक्स – 0755 2551387

क्र.प्राविवि / स.वि.स–11 / संविसं / 2014 / 4595 भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

तत्काल / महत्वपूर्ण / समय–सीमा

प्रति,

1. **संभागायुक्त** (समस्त), मध्य प्रदेश
2. **कलेक्टर** (समस्त), मध्य प्रदेश
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** (समस्त), जिला पंचायत, मध्य प्रदेश
4. **आयुक्त** (समस्त), नगर निगम, मध्य प्रदेश
5. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** (समस्त), नगर पालिका / नगर पंचायत, मध्य प्रदेश
6. **राज्य स्तरीय प्रमुख,** समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
7. **राज्य स्तरीय प्रमुख,** समस्त निजी क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
8. **अध्यक्ष,** समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश
9. **प्रबंध संचालक,** मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
10. **अग्रणी जिला प्रबंधक** (समस्त), मध्य प्रदेश

विषय:– **प्रधान मंत्री जन धन योजना (सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन कार्यक्रम) का कियान्वयन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत्।**

संदर्भ:– इस कार्यालय का पत्र क.प्राविवि / स.वि.स–11 / संविसं / 2014 / 3845 दि. 11.08.2014, क.प्राविवि / स.वि.स–11 / संविसं / 2014 / 3973 दि. 21.08.2014, एवं क.प्राविवि / स.वि.स–11 / संविसं / 2014 / 4166 दि. 06.09.2014।

=0=

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रधान मंत्री जन धन योजना के कियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 को माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 155वीं बैठक सम्पन्न हुई जिसमें योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

1. भारत सरकार द्वारा इस योजना अंतर्गत सभी छूटे हुए परिवारों के बैंक खाते दिनांक 26 जनवरी 2015 तक खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है परन्तु माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रदेश में इस योजना को दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण करने का लक्ष्य पुनरीक्षित करते हुए निर्धारित किया गया है। अतः, माननीय मुख्यमंत्रीजी की अपेक्षानुसार निर्धारित तिथि तक प्रदेश के सभी जिलों के एस0एस0ए0 तथा वार्ड के छूटे हुए परिवारों के बैंक खाते खोले जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. समस्त जिलों में यह सुनिश्चित किया जाये कि जिला स्तर पर बैंकों को आवंटित सभी एस0एस0ए0 हेतु बी0सी0ए0 की नियुक्ति की अनिवार्यतः 31 अक्टूबर 2014 तक सुनिश्चित कर ली जाये।
3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जिले के सभी एस0एस0ए0 तथा वार्ड में सर्वे का कार्य दिनांक 15 नवम्बर, 2014 तक पूर्ण कर लिया जाये।
4. सर्वे के दौरान चिन्हित किये गये परिवारों के बैंक खाते सर्वे के दौरान ही खोले जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे कि बार–बार एस0एस0ए0 / वार्ड में यह प्रकिया दोहराना नहीं पड़े। प्रत्येक वार्ड / एस0एस0ए0 के समस्त परिवारों के बैंक खाते खोले जाने पर पूर्णतः समावेशित घोषित किया जाये।

5. यह सुनिश्चित किया जाये कि बैंक खाता खोलने हेतु निर्धारित फार्म के लिये किसी प्रकार की राशि नहीं ली जाये।
6. भारत सरकार द्वारा जारी बैंक खाता खोलने हेतु जारी सामान्य फार्म (common form) वित्त मंत्रालय की वेबसाईट www.http//financialservices.gov.in/banking/jandhan.asp तथा इस संचालनालय की वेबसाईट www.dif.mp.gov.in पर उपलब्ध है। वेबसाईट पर उपलब्ध फार्म को भी आवश्यकतानुसार उपयोग में लिया जा सकता है।
7. जिला प्रशासन द्वारा जिले के एस0एस0ए0/वार्ड वार मतदाता सूची/जनसंख्या रजिस्टर की एक प्रति अग्रणी जिला प्रबंधक के माध्यम से एस0एस0ए0/वार्ड से संबंधित सभी बैंकों को उपलब्ध कराई जाये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एस0एस0ए0/वार्ड में कोई भी परिवार बैंक खाता खुलने से वंचित नहीं रहा है।
8. स्थानीय स्तर पर इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार की व्यवस्था की जाये। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय निकायों के माध्यम इस महत्वपूर्ण कार्य को सम्पन्न करवाया जाये।
9. जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कियान्वय समिति की साप्ताहिक बैठक का आयोजन करते हुए साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित की जाये।
10. इस कार्यालय द्वारा निर्धारित किये गये प्रपत्र एक एवं दो (पुनः संलग्न) में साप्ताहिक जानकारी अनिवार्यतः प्रत्येक शनिवार को ई–मेल के माध्यम से भेजी जाना सुनिश्चित की जाये। उक्त जानकारी को संकलित करते हुए जिले की रेटिंग की जायेगी। दिनांक 18 अक्टूबर, 2014 को समाप्त सप्ताह का प्रतिवेदन दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 तक भेजना सुनिश्चित करें। आगामी सप्ताहों में यह प्रतिवेदन प्रत्येक सोमवार को भेजना सुनिश्चित किया जाये। समेकित जानकारी मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ साप्ताकि आधार पर प्रस्तुत की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करने का कष्ट करें जिससे कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशानुसार इस योजना का कियान्वयन निर्धारित समयावधि में करते हुए मध्य प्रदेश राज्य देश में सर्वप्रथम राज्य बन सके।

संलग्नः–उक्तानुसार।

(विवेक अग्रवाल)
मिशन डायरेक्टर
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त

पृ.क.प्राविवि/स.वि.स–11/संविसं/2014/4596 भोपाल, दिनांक 2[illegible] अक्टूबर 2014

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नईदिल्ली की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
7. मुख्य महाप्रबंधक ,नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
8. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मिशन डायरेक्टर
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त

प्रधान मंत्री जन धन योजना

जिले का नाम:

प्रारूप - [illegible]

क्र.	विवरण	दिनांक 30.09.2014 तक की प्रगति	दिनांक 15.10.2014 तक की प्रगति
अ.	**ग्रामीण क्षेत्र हेतु**		
I.	जिले में कुल गांव की संख्या		
II.	जिले में निर्धारित कुल सब-सर्विस एरिया की संख्या		
III.	जिले मे नियुक्त बी०सी०ए० की संख्या		
IV.	जिले में नियुक्ति हेतु शेष बी०सी०ए० की संख्या		
V.	कितने एस०एस०ए० में सर्वे का कार्य प्रारम्भ हुआ		
VI.	कितने एस०एस०ए० में सर्वे का कार्य पूर्ण हुआ		
VII.	कितने एस०एस०ए० में सर्वे का कार्य चालू है		
VIII.	कितने एस०एस०ए० में सर्वे का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ		
IX.	जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की संख्या		
X.	जिले में सर्वे के दौरान बैंक खाते वाले चिन्हित ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या		
XI.	जिले में सर्वे के दौरान बगैर बैंक खाते वाले चिन्हित ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या		
XII.	बगैर बैंक खाते वाले परिवारों में से बैंकों से जोड़े गये परिवारों की संख्या		
XIII.	जिले में जारी रूपे कार्ड की संख्या		

प्रारूप - [illegible]

क्र.	विवरण	दिनांक 30.09.2014 तक की प्रगति	दिनांक 15.10.2014 तक की प्रगति
ब.	**शहरी क्षेत्र हेतु**		
I.	जिले में कुल वार्ड की संख्या		
II.	कितने वार्ड में सर्वे का कार्य प्रारम्भ हुआ		
III.	कितने वार्ड में सर्वे का कार्य पूर्ण हुआ		
IV.	कितने वार्ड में सर्वे का कार्य चालू है		
V.	कितने वार्ड में सर्वे का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ		
VI.	जिले के शहरी क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की संख्या		
VII.	जिले में सर्वे के दौरान बैंक खाते वाले चिन्हित शहरी परिवारों की कुल संख्या		
VIII.	जिले में सर्वे के दौरान बगैर बैंक खाते वाले चिन्हित शहरी परिवारों की कुल संख्या		
IX.	बगैर बैंक खाते वाले परिवारों में से बैंकों से जोड़े गये परिवारों की संख्या		
X.	जिले में जारी रूपे कार्ड की संख्या		